न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 100 / 2021

1. आसमौहम्मद
2. मुस्तकीम
3. शकील पिसरान जानमौहम्मद जाति मेव निवासी ग्राम घोंसिंगा तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

प्रार्थीगण

बनाम

धन्ना पुत्र जैन खाँ जाति मेव निवासी घोसिगा तहसील पहाडी

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री मौहम्मद खाँ वकील प्रार्थीगण
2. श्री सतीश बुन्देला वकील अप्रार्थी

दिनांक :–06 / 08 / 2021

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2039 / 1801 / 0.04, बांके ग्राम घोंसिगा तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0 में स्थित है विवादित आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है और आज भी मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त है। आराजी से अप्रार्थी का कोई किसी प्रकार का लेनादेना नहीं है और ना ही कभी था फिर भी अप्रार्थी कब्जेकाश्त प्रार्थीगण में मजाहमत व मदाखलत करता रहता है और आराजी मुतदाविया पर पक्का निर्माण कार्य करने की फिराक में है जिसकी बाबत उसने दिनांक 21 / 06 / 2021 को ऐलानिया धमकी स्पष्ट शब्दो में ग्राम घोंसिंगा में दी है यदि अप्रार्थी अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गया तो प्रार्थीगण को अपरमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति जर्रे नकद से सम्भव न हो सकेगी । विधि

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वजह प्रार्थीगण खिलाफ प्रतिवादी जरिये हुक्म इम्तनाई चन्द रोजा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी है। प्राईमा फैसाई केस , सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति हम प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकट होती है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी को जरिये हुक्म इम्तनाई चन्द रोजा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे कब्जे काश्त प्रार्थीगण में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत ना करे एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आया दिनांक 20/07/2021 को जबाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत से पेश किया गया है अप्रार्थी ने आज से करीब 3 साल पूर्व प्रार्थीगण से उक्त खसरा नम्बर 2039/1801/0.04 नकद तीन लाख रूपये में तथा उसके साथ ही लगते हुये धूप खाँ पुत्र मुगला के खातेदारी के खसरा नम्बर 2040/1801/0.04 को तीन लाख रूपये में कुल मिलाकर दोनो को छः लाख रूपये में खरीद किया था। वक्त खरीद से ही अप्रार्थी ने उक्त खसरा नम्बरान को मिलाकर करीब 3 फुट ऊँचाई की दीवार की जा चुकी है। जिसमें अप्रार्थी ने लैट्रिंग, बाथरूम, पानी हेतु बोर,झोंपडी, पशुओं की लडामनी बिटोरा बना रखे है तथा अप्रार्थी उक्त आराजी को अपने रिहायश प्लॉट के रूप में काम में लेता चला आ रहा है तथा आराजी पर किसी प्रकार की कोई काश्त नहीं हो रही है और ना ही प्रार्थीगण का व धूप खाँ का उक्त नम्बरो से कोई संबंध नहीं है। उक्त खसरा नम्बरों को प्रार्थीगण ने अपनी व अपने परिवार की सहमति से बेचान किया था तथा आज भी आराजी पर अप्रार्थी का कब्जा है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. प्रथम दृष्टया प्रकरण :–प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। अप्रार्थी का जबाब यह कि उन्होने 03 वर्ष पूर्व प्रार्थीगण से उक्त खसरा नम्बर 2039/1801/0.04 को नकद तीन लाख रूपये में प्राप्त कर लिया है। परन्तु इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य यथा बयनामा/इकरारनामा इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया है। दावा अभी प्राथमिक स्टेज पर है। इन तथ्यों की सत्यता साक्ष्य के आधार पर मूल दावें में तय होगी। प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। अगर अप्रार्थी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

कोई भी निर्माण किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी की अपेक्षा प्रार्थीगण में निहित है।

2. सुविधा सन्तुलन :—प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थीगण की खातेदारी की है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण की आराजी पर निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। अगर अप्रार्थी इसमें सफल हो जाता है तो प्रार्थीगण को ही असुविधा होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण में ही निहित है।

3. अपूरणीय क्षति :—प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी की अपेक्षा प्रार्थीगण में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण ,सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थी की तुलना में प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :—

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला मूल वाद विवादित आराजी खसरा नम्बर 2039/1801/0.04 बांके ग्राम घोसिंगा तहसील पहाडी पर मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 06/08/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner